

153/25



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपारान जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी)

राजस्थान सरकार

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 कैम्प कोर्ट


कैम्प कोर्ट का स्थान वालाडा

दिनांक :- 27/09/25

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी वालाडा  
भू-अभिलेख निरीक्षक तिम्बाहेडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपारानकी अनुशंसा के आधार पर शा.  
भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अरतीया तहसील कपारान  
चित्तौड़गढ़की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 64  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोड निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दराज  
आदेश दिये जाते हैं :-


| क्र. सं. | ग्राम का नाम  | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)                | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|---------------|-------------|---|--|
| 1        | <u>अरतीया</u> | <u>64</u>   | <u>पतरभुज पुत्र जोडल यमार</u><br><u>शेष जमा बदल</u> | <u>पतरभुज पुत्र जोडल जटिया</u><br><u>शेष जमा बदल</u>         |

  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
(कपारान उपखण्ड अधिकारी) जिला चित्तौड़गढ़  
कपारान जिला चित्तौड़गढ़  
दिनांक 27/09/25

क्रमांक / राजस/2025/153

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, दुपारान को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दराज शा.  
किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पतरभुज पुत्र जोडल जटिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
(कपारान उपखण्ड अधिकारी) जिला चित्तौड़गढ़  
कपारान जिला चित्तौड़गढ़